# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 113/2022(2022/370)

1. सुमेर धाकड़ पुत्र श्री बन्नालाल धाकड़ जाति धाकड़ निवासी कावरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

—— प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार साहब केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

—— अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित—
प्रार्थी वकील :— श्री सिद्धार्थ सिंह
पैरवीकार सरकार :— जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 28.6.2022

पत्रावली आज न्यायालय मे पेश हुई। प्रार्थी द्वारा संक्षेप मे राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम कावरिया तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबंदी संवत 2071–76 में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

| खाता संख्या (नया–पुराना) | खसरा नम्बर | रकबा (है.) | किस्म |
|---|---|---|---|
| 50–47 | 709/85 | 0.26 | बारानी उत्तम |
| | कुल किता 1 | कुल रकबा 0.26 | |

वादग्रस्त कृषि का मौके पर स्पष्ट सीमांकन नही है जिस कारण पडौसी की भूमि बावत सीमा विवाद होन की संभावना बनी रहती है तथा प्रार्थी फसल की जंगली जानवरो, आवारा पशुओ एवं रोजडों आदि से सुरक्षार्थ तारबन्दी करवाना चाहते है अतः प्रार्थी को अपनी खातेदारी की उपरोक्त कृषि भूमि का सीमा ज्ञान करवाकर स्थायी सीमा चिन्ह कायम करवाया जाना आवश्यक है वादग्रस्त का सीमा ज्ञान करवाकर स्थायी सीमा चिन्ह कायम करवाया जाना आवश्यक है तथा न्यायोचित है प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने का मूल कारण सर्वप्रथम दिनांक 29.4.2022 प्रार्थी द्वारा दस्तावेज प्राप्त करने पर जानकारी होने पर उत्पन्न हुआ तथा अब निरंतर उत्पन्न हो रहा है पडोसियों की उपस्थिति में सीमा ज्ञान करवाकर सीमा चिन्ह कायम कराया जाने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार तहसीलदार केकडी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब टिप्पणी जिसमे बताया संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदार भूमि है राजहित प्रभावित नही है

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है।खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बावत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम कावरिया तहसील केकडी के खाता संख्या नया पुराना 50–47 के खसरा संख्या 709/85 रकबा 0.26हैक्टर, की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

Scanned with CamScanner